मुख्य परीक्षा

भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि

संदर्भ

अप्रैल-सितंबर 2025 में कृषि निर्यात 8.8% बढ़कर 25.9 बिलियन डॉलर हो गया (2024 की इसी अवधि में 23.8 बिलियन डॉलर था)। इसके विपरीत, इसी अवधि में **कुल व्यापारिक निर्यात में केवल 2.9% की वृद्धि हुई**। यह **वित्त वर्ष 2024-25** से व्यापक प्रवृत्ति को जारी रखता है, जहां कृषि निर्यात में **6.4%** की वृद्धि हुई जबकि कुल व्यापारिक निर्यात में मामूली **0.1% की वृद्धि हुई।**

प्रमुख कृषि निर्यात उत्पाद -

- **समुद्री उत्पाद:** अप्रैल-सितंबर 2025 में 4.8 बिलियन डॉलर के साथ सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी।
- **चावल (गैर-बासमती):** पहले के प्रतिबंधों के बावजूद मज़बूत सुधार (2.85 बिलियन डॉलर)।
- **भैंस का मांस और मुर्गी:** 2.25 बिलियन डॉलर और 0.414 बिलियन डॉलर का निर्यात पश्चिम एशिया द्वारा समर्थित।
- **ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ:** टमाटर और प्याज की शिपमेंट के कारण 1.49 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
- **कॉफ़ी:** वैश्विक मूल्य वृद्धि के कारण निर्यात 738.9 मिलियन डॉलर (2019-20) से बढ़कर 1.8 बिलियन डॉलर (2024-25) हो गया।

निर्यात वृद्धि के पीछे के कारण -

- **निर्यात प्रतिबंधों को हटाना:** सरकार ने घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए गैर-बासमती चावल पर लगाए गए प्रतिबंधों और शुल्कों को हटा दिया।
  - लगातार अच्छे मानसून और उच्च बफर स्टॉक ने उदारीकरण को संभव बनाया।
- **मज़बूत वैश्विक माँग और मूल्य रुझान:** खाद्य एवं कृषि संगठन(FAO) सूचकांक में नरमी के बावजूद कई वस्तुओं (चावल, कॉफ़ी, समुद्री खाद्य) के वैश्विक मूल्य मज़बूत बने रहे।
  - 25 वर्षों में सबसे कम वैश्विक स्टॉक के कारण कॉफी की कीमतें बढ़ गईं।
- **बाज़ार विविधीकरण:** निर्यातकों ने समुद्री खाद्य निर्यात को अमेरिका (50% से अधिक शुल्क वाला) से हटाकर चीन, वियतनाम, जापान, थाईलैंड, यूरोपीय संघ, कनाडा की ओर मोड़ दिया। इसने किसी एक बाज़ार पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया।
- **बढ़ा हुआ प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन:** प्रसंस्कृत फल और सब्ज़ी निर्यात में वृद्धि बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण और पैकेजिंग मानकों को दर्शाती है।
- **प्रतिस्पर्धी उत्पादन स्थितियाँ:** अच्छे मानसून के वर्षों (2024 और 2025) ने अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्धता का निर्माण किया।
  - चावल और मांस क्षेत्र को स्थिर घरेलू आपूर्ति से लाभ हुआ।
- **नीतिगत प्रोत्साहन और व्यापार कूटनीति:** संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और मसालों, कॉफ़ी, चाय तथा फलों पर अमेरिकी शुल्कों की हालिया वापसी की संभावनाओं से निर्यात को समर्थन मिला।

भारत के कृषि निर्यात विकास में बाधाएं बनी हुई हैं -

- **बार-बार निर्यात प्रतिबंधों के कारण नीतिगत अस्थिरता वैश्विक खरीदारों के विश्वास को बाधित करती है:** 2022-24 के दौरान गेहूँ, चीनी और गैर-बासमती चावल पर बार-बार लगाए गए प्रतिबंधों ने दीर्घकालिक अनुबंधों को रोक दिया।
- **उच्च बाज़ार संकेन्द्रण भू-राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है:** समुद्री निर्यात तब प्रभावित हुआ जब अमेरिका (36% हिस्सेदारी) ने 2025 में 58% से अधिक शुल्क (टैरिफ) लगाया।
- **गुणवत्ता और एसपीएस अनुपालन अंतराल प्रीमियम बाजारों तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं:** यूरोपीय संघ और जापान द्वारा अवशेष उल्लंघन के लिए भारतीय मसालों/झींगा को अस्वीकार करना संरचनात्मक गुणवत्ता के मुद्दों को उजागर करता है।

- **निम्न प्रसंस्करण स्तर वैश्विक बाज़ारों में मूल्य प्राप्ति (value capture) को सीमित करते हैं:** पर्याप्त कच्चे उत्पाद के बावजूद भारत का प्रसंस्कृत फल निर्यात (~1.8 बिलियन डॉलर) थाईलैंड जैसे प्रतिस्पर्धियों से पीछे है।
- **कृषि-प्रौद्योगिकी में ठहराव प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करता है:** 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक का कपास आयात, बीटी कपास के बाद कोई नई तकनीक न होने के कारण घटती घरेलू उत्पादकता को दर्शाता है।

इन बाधाओं को कैसे दूर करें -

- **वैश्विक खरीदारों को आश्वस्त करने हेतु पूर्वानुमानित, दीर्घकालिक निर्यात नीतियाँ अपनाना:** वियतनाम की चावल नीति जैसे "आपात स्थितियों को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं" मॉडल से भारतीय चावल निर्यात में देखे गए व्यवधानों को रोका जा सकता है।
- **लक्षित व्यापार कूटनीति और FTA के माध्यम से बाजारों में विविधता लाना:** 2026 में समुद्री खाद्य निर्यात को चीन, वियतनाम और यूरोपीय संघ की ओर पुनर्निर्देशित करने से अमेरिकी टैरिफ प्रभाव कम हो जाएगा।
- **आपूर्ति शृंखलाओं में गुणवत्ता प्रमाणीकरण और पता लगाने की क्षमता (traceability) को सुदृढ़ करना:** मसालों और बागवानी के लिए MPEDA-शैली की डिजिटल पता लगाने की क्षमता का विस्तार अस्वीकृति दरों को कम कर सकता है।
- **खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टरों और प्रोत्साहनों के माध्यम से मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना:** मेगा फूड पार्क मॉडल फलों/सब्ज़ियों को प्रसंस्कृत कॉफ़ी निर्यात में मिली सफलता को दोहराने में सहायता कर सकता है।
- **उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषि प्रौद्योगिकियों और इनपुट प्रणालियों का उन्नयन:** ब्राज़ील की GM किस्मों जैसी नई कपास बीज प्रौद्योगिकियों को तेज़ी से लागू करना बढ़ती हुई कच्ची कपास के आयात को कम करेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत में किशोर न्याय

संदर्भ

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) द्वारा जारी अपनी तरह के प्रथम अध्ययन 'किशोर न्याय और कानून के साथ संघर्ष में बच्चे: अग्रिम पंक्ति पर क्षमता का अध्ययन' में किशोर न्याय प्रणाली में गहरे संरचनात्मक अंतरालों को रेखांकित किया गया है, जिसमें किशोर न्याय बोर्डों (JJB) के समक्ष 55% से अधिक मामले लंबित हैं, जो बाल-केंद्रित न्याय वितरण को कमजोर करते हैं।

भारत में किशोर न्याय का वर्तमान परिदृश्य -

- **JJB के समक्ष उच्च लंबित मामले: 362 किशोर न्याय बोर्डों (JJB) में 55% से अधिक मामले लंबित** हैं, ओडिशा में लंबित मामले 83% से लेकर कर्नाटक में 35% तक हैं, जो असमान प्रदर्शन को दर्शाता है।
- **संरचनात्मक अंतराल और रिक्तियां: 24% JJB पूरी तरह से गठित नहीं हैं,** और कई बाल देखभाल संस्थानों और अग्रिम पंक्ति की एजेंसियों को कर्मचारियों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे पूछताछ की गति और बाल परामर्श प्रभावित होता है।
- **कमजोर कानूनी सहायता और सहायता सेवाएं: 30% JJB में कानूनी सेवा क्लीनिक की कमी है,** जो कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों के लिए मुफ्त कानूनी प्रतिनिधित्व और पुनर्वास मार्गों को सीमित करता है।
- **खराब डेटा पारदर्शिता और निगरानी:** किशोर न्याय के लिए कोई केंद्रीकृत डेटा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है (राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के विपरीत)।
    - सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जवाबों से पता चलता है कि राज्य पुलिस मुख्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी), राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (एससीपीएस) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) सहित प्रमुख एजेंसियों के बीच अनियमित डेटा प्रवाह है।
- **उच्च आयु वर्ग में किशोर अपराधों में वृद्धि:** भारत में अपराध 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 40,036 किशोर पकड़े गए, जिनमें से 75% 16-18 वर्ष की आयु के थे, जिससे सामाजिक भेद्यता, पुलिस व्यवस्था और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत "वयस्क परीक्षण" प्रावधानों पर चिंताएं बढ़ गई हैं।
- **खंडित विकेंद्रीकृत प्रणाली:** इस प्रणाली में कई संस्थान शामिल हैं- पुलिस, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण - फिर भी अंतर-एजेंसी समन्वय कमजोर रहता है, जो मामले के प्रबंधन और पुनर्वास को प्रभावित करता है।
- **संसाधन और बुनियादी ढांचे की बाधाएं:** अपर्याप्त धन, भीड़भाड़ वाले घर, सीमित मनोसामाजिक समर्थन और अपर्याप्त परिवीक्षा सेवाएं बाल-केंद्रित न्याय वितरण को कमजोर करती हैं।
- **किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के 10 साल बाद, कार्यान्वयन असमान है:** प्रगतिशील कानूनी प्रावधानों के बावजूद, परिचालन अंतराल बड़े बने हुए हैं, जिससे धीमी पूछताछ, खराब पुनर्वास परिणाम और कमजोर जवाबदेही होती है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 -

- इसने **किशोर न्याय अधिनियम, 2000** का स्थान लिया।
- यह कानून के साथ संघर्ष में बच्चे (CICL) तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (CNCP) को सम्मिलित करता है।
- **किशोर की परिभाषा: 18 वर्ष से कम आयु** का कोई भी व्यक्ति।
- यह **सभी समुदायों के लिए** एक **समान दत्तक ग्रहण कानून** प्रदान करता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **किशोर न्याय बोर्ड (JJB):** राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में धारा-4 के तहत गठित।
    - **संरचना**: 1 महानगर/न्यायिक मजिस्ट्रेट + 2 सामाजिक कार्यकर्ता (कम से कम 1 महिला)।
    - **कार्य**: किशोरों द्वारा सभी अपराधों की जांच; बच्चों के अनुकूल, पुनर्वास-केंद्रित दृष्टिकोण।
  - **जघन्य अपराधों के लिए 16-18 वर्ष के किशोरों का परीक्षण:** जघन्य अपराधों (≥7 साल की सजा) के लिए, JJB मानसिक और शारीरिक क्षमता का प्रारंभिक मूल्यांकन करता है।
    - यदि उपयुक्त हो तो बच्चे पर बाल न्यायालय में वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।
  - **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA):** अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय बनाया गया।
    - देशीय एवं अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करता है।
  - **बाल देखभाल संस्थान (CCI):** अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर सभी CCI-सरकारी या एनजीओ का अनिवार्य पंजीकरण। निरीक्षण और निगरानी के अधीन।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021

- 3-7 वर्ष की सजा वाले अपराधों को **गैर-संज्ञेय(non-cognisable)** के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया।
- दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने की शक्ति अदालतों के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेटों को प्रदान की गई।

किशोर दुराचार में योगदान देने वाले कारक -

- **सामाजिक-आर्थिक अभाव:** पुरानी गरीबी, परिवारों में बेरोजगारी और बुनियादी जरूरतों तक पहुंच की कमी कई बच्चों को जीवित रहने की रणनीति के रूप में छोटी-मोटी चोरी या अवैध काम की ओर धकेलती है, जिससे विचलित व्यवहार सामान्य हो जाता है।
- **निष्क्रिय पारिवारिक वातावरण:** संघर्ष, हिंसा, माता-पिता की उपेक्षा, अलगाव, या दुर्व्यवहार से चिह्नित घर भावनात्मक स्थिरता और पर्यवेक्षण को कमजोर करते हैं। ऐसे अस्थिर घरों के बच्चे जोखिम लेने और गैरकानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रवण होते हैं।
- **प्रतिकूल पड़ोस की स्थिति:** उच्च अपराध व्यापकता, अपर्याप्त नागरिक सेवाओं और सामाजिक अव्यवस्था वाले इलाकों में बड़ा होना बच्चों को अपराधी रोल मॉडल के लिए जल्दी उजागर करता है और असामाजिक आचरण को सामान्य करता है।
- **मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कमजोरियां:** मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे जैसे आचरण विकार, आवेग, सीखने की अक्षमता और अनुपचारित आघात आत्म-नियंत्रण को कम करते हैं, आक्रामकता बढ़ाते हैं और कानून के साथ संघर्ष की संभावना को बढ़ाते हैं।
- **हानिकारक डिजिटल और मीडिया एक्सपोजर:** ऑनलाइन गेम, वीडियो, सोशल मीडिया और समाचारों में हिंसक सामग्री के साथ निरंतर अंतर्क्रिया बच्चों को असंवेदनशील बनाती है, आक्रामक प्रतिक्रियाओं को मजबूत करती है, और कभी-कभी जोखिम भरे व्यवहार की नकल को प्रेरित करती है।
- **मादक द्रव्यों का उपयोग और लत जोखिम:** शराब, ड्रग्स, या इनहेलेंट के शुरुआती संपर्क में आने से युवाओं में हिंसक और आय पैदा करने वाले दोनों अपराधों को बढ़ावा मिलता है। पदार्थ निर्भरता निर्णय को बाधित करती है और आपराधिक गतिविधि की प्रवृत्ति को बढ़ाती है।

- **नेगेटिव सहकर्मी प्रभाव:** अपराधी सहकर्मी समूहों के साथ जुड़ाव अनुरूप होने के लिए दबाव बनाता है, सामूहिक नियम-तोड़ने को प्रोत्साहित करता है, और अपनेपन की भावना प्रदान करता है जो अक्सर कमजोर परिवार या संस्थागत समर्थन के लिए स्थानापन्न होता है।

विश्व स्तर पर किशोर न्याय प्रणाली -

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** किशोर न्याय प्रथाएं राज्यों में अलग-अलग हैं, लेकिन समग्र प्रणाली सजा पर पुनर्वास को प्राथमिकता देती है।
  - यह समर्पित किशोर अदालतों, डायवर्जन और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों और किशोर रिकॉर्ड की सख्त गोपनीयता के माध्यम से संचालित होता है।
- **स्कॉटलैंड:** एक अनूठा मॉडल जहां सरकार द्वारा नियुक्त "रिपोर्टर" मूल्यांकन करता है कि क्या बच्चे को अनिवार्य देखभाल या हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
  - 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निर्णय "बच्चों की सुनवाई" के माध्यम से किए जाते हैं, जो औपचारिक अदालती प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करते हैं और कल्याण और पर्यवेक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **इंग्लैंड:** बाल और युवा व्यक्ति अधिनियम, 1969 जब भी संभव हो अदालत कक्ष के बाहर किशोर अपराधों को संभालने को बढ़ावा देता है।
  - 14-17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, "देखभाल कार्यवाही" आपराधिक परीक्षणों की जगह ले सकती है।
  - हालांकि, किशोरों को अभी भी उपेक्षा, नैतिक जोखिम या अपर्याप्त शिक्षा से जुड़े मामलों में अदालत में ले जाया जा सकता है।
  - पुलिस मामलों को रेफर करने से पहले विस्तृत जांच करती है।
  - विशिष्ट परिस्थितियों में - जैसे कि एक वयस्क के साथ आरोप लगाया जा रहा है - 12-17 वर्ष की आयु के बच्चों को आपराधिक अदालतों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:**
  - **किशोर न्याय के प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियम (बीजिंग नियम):** न्यायसंगत, बाल-अनुकूल तथा पुनर्वास-केंद्रित किशोर न्याय प्रक्रिया के लिए न्यूनतम वैश्विक मानक स्थापित करते हैं।
  - **किशोर अपराध की रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देश (रियाद दिशा-निर्देश):** एक निवारक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जो किशोर अपराध को कम करने के लिए सामाजिक विकास, पारिवारिक समर्थन और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों पर बल देती है।
  - **स्वतंत्रता से वंचित किशोरों की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र नियम (हवाना नियम):** निरुद्ध या हिरासत में रखे गए किशोरों के मानवीय व्यवहार, गरिमा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करते हैं।
  - **आपराधिक न्याय प्रणाली में बच्चों पर कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश (वियना दिशा-निर्देश):** गिरफ्तारी से लेकर पुनर्वास तक, आपराधिक न्याय प्रक्रिया के सभी चरणों में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु व्यापक उपाय प्रदान करते हैं।

आगे की राह -

- **पूर्ण स्टाफिंग और प्रशिक्षण के माध्यम से किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) को सुदृढ़ करना:** किशोर न्याय बोर्डों का 100% गठन सुनिश्चित करना, समाज कल्याण कार्यकर्ताओं और मजिस्ट्रेटों के रिक्त पदों को भरना (जैसा कि जस्टिस वर्मा समिति 2012 द्वारा अनुशंसित है), और बाल मनोविज्ञान एवं सुधारात्मक न्याय (restorative justice) पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **एक केंद्रीकृत किशोर न्याय डेटा ग्रिड स्थापित करना:** बेहतर निगरानी और जवाबदेही के लिए पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों के डेटा को एकीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय मंच बनाना।

- **कानूनी सहायता और परिवीक्षा सेवाओं (Probation Services) में सुधार करना:** प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड में कानूनी सेवा क्लीनिक स्थापित करना, परिवीक्षा अधिकारियों का विस्तार करना, और परामर्श (counselling), विपथन (diversion), एवं समुदाय-आधारित पुनर्वास तंत्रों को मजबूत करना।
- **बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) और आफ्टरकेयर सेवाओं का उन्नयन करना:** अनिवार्य पंजीकरण, आवधिक निरीक्षण, न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, और पुनःएकीकरण (reintegration) के लिए मजबूत आफ्टरकेयर/कौशल प्रशिक्षण विकसित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना:** राज्य को अत्यधिक दंडात्मक शक्तियों को सीमित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोर न्याय अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और दंड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)) के साथ सामंजस्य में कार्य करे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा

IMF ने भारत के राष्ट्रीय खातों के लिए 'C' ग्रेड दिया

संदर्भ

IMF ने भारत के राष्ट्रीय खातों पर अपनी वार्षिक समीक्षा में इसे ग्रेड 'C' दिया है।

इसके पीछे क्या कारण थे?

- **पुराना आधार वर्ष:** ये खाते 2011/12 के पुराने आधार वर्ष का उपयोग करते हैं, जो अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना और उपभोग पैटर्न को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- **अपस्फीति संबंधी मुद्दे:** उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) के बजाय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और एकल अपस्फीति पर अत्यधिक निर्भरता, वास्तविक अवधि की गणनाओं में चक्रीय पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकती है।
- **बड़ी विसंगतियाँ:** उत्पादन (जीवीए) और व्यय (जीडीपी) दृष्टिकोणों के बीच अक्सर बड़ी विसंगतियाँ होती हैं, जो विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के संभावित कम कवरेज का संकेत देती हैं।
- **मौसमी रूप से समायोजित आँकड़ों का अभाव:** मौसमी रूप से समायोजित तिमाही आँकड़ों का अभाव अंतर्निहित आर्थिक रुझानों के स्पष्ट विश्लेषण में बाधा डालता है।
- **सीमित विवरण:** संस्थागत क्षेत्र द्वारा सकल स्थिर पूँजी निर्माण (जीएफसीएफ) का विभाजन एक महत्वपूर्ण अंतराल के साथ प्रकाशित किया जाता है, जिससे विस्तृत आर्थिक विश्लेषण सीमित हो जाता है।
- **पुराने सीपीआई घटक:** आईएमएफ ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वर्तमान सीपीआई आधार वर्ष, आइटम बास्केट और भार पुराने हो चुके हैं (2011/12)।

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी(National Accounts Statistics) के बारे में -

- **यह राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद, जीवीए, बचत, निवेश और उपभोग जैसे व्यापक आर्थिक समुच्चय को मापने की प्रणाली है।**
- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित** किया जाता है।
- **आधार वर्ष: 2011–12**
- **गणना का आधार:** राष्ट्रीय लेखा की संयुक्त राष्ट्र प्रणाली (SNA 2008) का अनुसरण करता है।
- **इस्तेमाल की गई विधियाँ:**
  - क्षेत्रीय डेटा उपलब्धता के आधार पर उत्पादन, आय और व्यय विधियों का उपयोग करता है।
  - इसमें प्रशासनिक डेटा, औद्योगिक सर्वेक्षण, घरेलू उपभोग सर्वेक्षण, कंपनी फाइलिंग और कर रिकॉर्ड शामिल हैं।

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) में प्रमुख समुच्चय -

- **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी):** किसी दिए गए वर्ष में भारत की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को मापता है।
- **सकल मूल्य वर्धन (जीवीए):** उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को घटाकर प्राप्त राशि को दर्शाता है, जो क्षेत्रवार आर्थिक योगदान को दर्शाता है।
- **राष्ट्रीय आय / शुद्ध राष्ट्रीय आय (एनएनआई):** शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी) से मूल्यह्रास घटाने के बाद देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है।
- **प्रति व्यक्ति आय:** शुद्ध राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके देश की जनसंख्या की औसत आय की गणना करता है।
- **सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ):** अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को दर्शाता है, जिसमें अचल संपत्तियां, इन्वेंट्री और मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं।
- **सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ):** मशीनरी, भवन और बुनियादी ढांचे जैसी दीर्घकालिक उत्पादक संपत्तियों में निवेश को दर्शाता है।
- **राष्ट्रीय बचत:** घरेलू क्षेत्र, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध बचत का योग।

स्रोत: डेक्कन क्रॉनिकल

धातु संदूषण पर CPCB की रिपोर्ट

संदर्भ

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट में दिल्ली के भूजल में भारी धातु संदूषण की मौजूदगी पर प्रकाश डाला गया है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं।

भूजल संदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं?

- **मानवजनित स्रोत (मानवीय कारण):**
    - **कृषि पद्धतियाँ:** उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग।
    - **अनुचित अपशिष्ट निपटान:** सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट
    - **अति-निष्कर्षण/बोरिंग गतिविधियाँ**
    - **स्थानीय संदूषण भार:** साइट-विशिष्ट मानवीय गतिविधियाँ
- **भूजनित स्रोत (प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले)**
    - **जल-चट्टान अंत:क्रिया:** उच्च फ्लोराइड सांद्रता
    - **यूरेनियम-समृद्ध भूवैज्ञानिक निक्षेप**
    - **शुष्क/अर्ध-शुष्क जलवायु:** उच्च लवणता स्तर
- **संयोजन कारक:**
    - **जलभृत तनाव/कमी:** वार्षिक भूजल निष्कर्षण 245.64 बीसीएम (गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन 2024) है।
    - **खारे पानी के साथ मिश्रण**

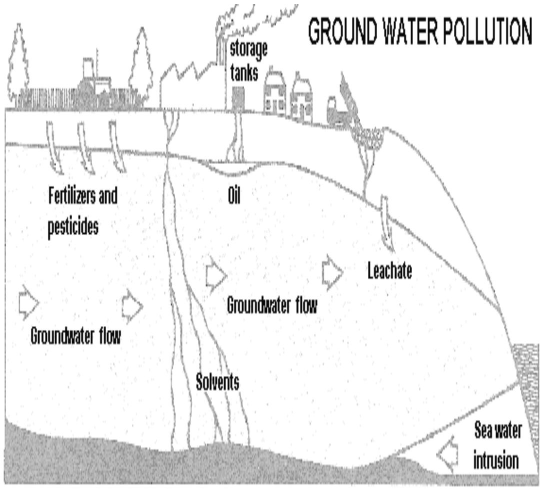

अनुमेय सीमा से अधिक पानी की गुणवत्ता मापदंडों के स्वास्थ्य प्रभाव -

पैरामीटर	अनुमेय सीमा से ऊपर होने पर स्वास्थ्य पर प्रभाव
विद्युत चालकता	संवेदनाहारी प्रभाव; हृदय संबंधी जटिलताओं का कारण बन सकता है
यूरेनियम	कैंसर का खतरा; गुर्दे की विषाक्तता
लेड	न्यूरोलॉजिकल मुद्दे
आयरन	संवेदनाहारी प्रभाव; आयरन के बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है
नाइट्रेट	उच्च नाइट्रेट का स्तर **"ब्लू बेबी सिंड्रोम"** का कारण बन सकता है
फ़्लोराइड	हड्डी की बीमारी; हड्डियों का दर्द और कोमलता; बच्चों में धब्बेदार दांत
क्लोरीन	आंख या नाक में जलन; पेट की परेशानी
ज़िंक	गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मुद्दे
मैंगनीज़	शिशुओं और बच्चों में न्यूरोलॉजिकल समस्याएं
आर्सेनिक	त्वचा की क्षति; कैंसर का खतरा बढ़ जाता है
कॉपर	जिगर की क्षति
सोडियम (सोडियम अवशोषण अनुपात (SAR))	हृदय संबंधी समस्याएं; मांसपेशियों में मरोड़; खराब नींद

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

MH-60R हेलीकॉप्टर

संदर्भ

भारत ने भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों के रखरखाव समर्थन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र (LoA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 7,995 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्षों के लिए अनुवर्ती समर्थन और अनुवर्ती आपूर्ति समर्थन शामिल है।

MH-60 R हेलीकॉप्टर के बारे में -

- **यह लॉकहीड मार्टिन (यूएसए) द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर है।**
- यह एक सभी मौसमों में काम करने वाला हेलीकॉप्टर है जिसे अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर के साथ डिज़ाइन किया गया है।
- **सुविधाऐं:**
  - यह मल्टी-मोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक सहायता उपाय प्रणाली, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल या इन्फ्रारेड कैमरा, डेटालिंक, विमान उत्तरजीविता प्रणाली, डिपिंग सोनार और सोनोबॉय जैसे सेंसर से लैस है।
  - इसे विभिन्न मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है जैसे;
    - पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW)
    - एंटी-सरफेस वारफेयर (ASuW)
    - खोज और बचाव (SAR)
    - चिकित्सा निकासी (MEDEVAC) और ऊर्ध्वाधर पुनःपूर्ति (VERTREP)।
  - **हथियार:** यह टॉरपीडो, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेट और हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और मार्क 54 पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो सहित चालक दल की तोपों से लैस है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत 2026-27 के लिए IMO परिषद के लिए फिर से चुना गया

संदर्भ

भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO), लंदन की परिषद में श्रेणी-B में पुनः निर्वाचित किया गया है।

IMO के बारे में -

- **यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो वैश्विक नौवहन (shipping)को विनियमित करने और जहाजों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने पर केंद्रित है।**
- **स्थापना:** 1948 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में; 1958 में परिचालन शुरू हुआ।
- **मुख्यालय: लंदन**, यूनाइटेड किंगडम।
- **सदस्य देश: 176 सदस्य देश** और तीन सहयोगी सदस्य (फ़रोज़, हांगकांग (चीन), मकाओ (चीन))।
  - **भारत 1959 से इसका सदस्य है।**
- **प्राथमिक कार्य:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय नौवहन नियमों का निर्माण और अद्यतनीकरण।**
  - समुद्री सुरक्षा (SOLAS), प्रदूषण निवारण (MARPOL), और नाविकों के लिए प्रशिक्षण/मानक (STCW) सुनिश्चित करता है।
  - समुद्री डकैती और आतंकवाद के जोखिमों सहित समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देता है।
  - सदस्य देशों के बीच निष्पक्ष और प्रभावी नौवहन प्रशासन का समर्थन करता है।
- **IMO परिषद श्रेणियाँ:**
  - **श्रेणी-A:** अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सेवाएं प्रदान करने में सबसे बड़े हित रखने वाले राज्य।
  - **श्रेणी-B:** अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बड़े हित वाले राज्य।
  - **श्रेणी-C:** समुद्री परिवहन में विशेष भौगोलिक हितों वाले राज्य।
- **IMO के तहत प्रमुख सम्मेलन:**
  - **SOLAS** - समुद्र में जीवन की सुरक्षा
  - **MARPOL** - समुद्री प्रदूषण की रोकथाम
  - **STCW** - प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक

- आईएसएम कोड - अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन
- ISPS कोड - अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा

स्रोत: पीआईबी

ऑपरेशन सागर बंधु

संदर्भ

भारत ने चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका का समर्थन करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है।

ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में -

- **यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) पहल है।**
- भारत का समर्थन उसकी "पड़ोसी पहले" नीति के अनुरूप है।
- **भारत द्वारा प्रमुख HADR मिशन:**
  - **ऑपरेशन राहत (2015):** यमन संघर्ष में बड़े पैमाने पर निकासी।
  - **ऑपरेशन मैत्री (2015):** नेपाल में भूकंप राहत अभियान।
  - **ऑपरेशन दोस्त (2023):** तुर्किये और सीरिया में भूकंप से राहत।
  - **चक्रवात/सुनामी सहायता:** श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया में नियमित राहत अभियान।
  - **कोविड-19 कूटनीति:** "वैक्सीन मैत्री" 100 से अधिक देशों को टीके और चिकित्सा सहायता की आपूर्ति कर रही है।

स्रोत: द हिंदू

संयुक्त राष्ट्र महासचिव चुनाव

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के चयन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव कैसे होता है?

- **संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा नामांकन:** किसी भी उम्मीदवार को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य द्वारा औपचारिक रूप से नामित किया जाना चाहिए।
  - विभिन्न क्षेत्रों में पद को बारी-बारी से बदलने की एक अनौपचारिक परंपरा है।
- **सुरक्षा परिषद की भूमिका (निर्णायक चरण):** 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चयन के पहले दौर का आयोजन करती है।
  - यह समर्थन का आकलन करने के लिए गुप्त मतदान आयोजित करती है, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार के लिए तीन संभावित वोट होते हैं - प्रोत्साहन, हतोत्साहन, और कोई राय नहीं।
  - किसी भी उम्मीदवार को सर्वसम्मति प्राप्त करनी होगी, विशेष रूप से 5 स्थायी सदस्यों (P5) - अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन - की स्वीकृति के साथ, क्योंकि कोई भी P5 वीटो कर सकता है।
- **महासभा को सिफारिश:** सुरक्षा परिषद औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए एक उम्मीदवार की सिफारिश करती है।
- **महासभा द्वारा अंतिम अनुमोदन:** 193 सदस्यीय महासभा अनुशंसित उम्मीदवार पर मतदान करती है।
  - परंपरागत रूप से, यह अनुमोदन निर्विरोध है और एक औपचारिकता के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वास्तविक चयन सुरक्षा परिषद में होता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

TEX- RAMPS योजना

संदर्भ

सरकार ने वस्त्र केंद्रित अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, योजना और स्टार्ट-अप (Tex- RAMPS) योजना को मंजूरी दे दी है।

TEX- RAMPS योजना के बारे में -

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
- **मंत्रालय:** कपड़ा मंत्रालय।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **कुल परिश्रम:** ₹305 करोड़ परिव्यय
  - **समय अवधि:** 2025-31
  - **फोकस:** भारत के कपड़ा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान, डेटा और नवाचार।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

सुपरबग्स(Superbugs)

संदर्भ

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद(ICMR) की 2024 की अपने रोगाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान और निगरानी नेटवर्क (AMRSN) पर वार्षिक रिपोर्ट में सुपरबग्स पर प्रकाश डाला गया है जो अब प्रमुख रोजमर्रा के एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हैं।

ICMR रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष -

- **व्यापक दवा विफलता:** फ्लोरोक्विनोलोन, तीसरी पीढ़ी के सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनेम और पिपरासिलिन-टैज़ोबैक्टम सहित नियमित और उन्नत एंटीबायोटिक्स, अस्पताल से प्राप्त सामान्य बैक्टीरिया के खिलाफ तेजी से प्रभावशीलता खो रहे हैं।
- **ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया हावी हैं:** दवा प्रतिरोधी ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया चिंता का प्राथमिक कारण हैं, जो सभी रक्तप्रवाह संक्रमणों का 72% हिस्सा हैं।
- **गंभीर रोगज़नक़ प्रतिरोध:**
    - **एसिनेटोबैक्टर बाउमनी (आईसीयू में):** मजबूत एंटीबायोटिक मेरोपेनेम के प्रति 91% प्रतिरोध दिखाया, जिससे डॉक्टरों को अधिक जहरीले या जटिल दवा संयोजनों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
    - **क्लेबसिएला निमोनिया:** लगभग तीन-चौथाई मामलों में पिपरासिलिन-टैज़ोबैक्टम के लिए प्रतिरोधी और कार्बापेनेम के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी, निमोनिया और सेप्सिस के लिए उपचार के विकल्पों को गंभीर रूप से सीमित करता है।
    - **ई. कोलाई:** मजबूत एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति संवेदनशीलता में गिरावट दिखाई।
    - **साल्मोनेला टाइफी (टाइफाइड):** 95% से अधिक नमूने फ्लोरोक्विनोलोन के प्रतिरोधी थे।
- **फंगल प्रतिरोध:** फंगल रोगजनकों में भी महत्वपूर्ण प्रतिरोध देखा गया, जिसमें लगभग 10% आइसोलेट्स में कैंडिडा ऑरिस प्रतिरोधी और एम्फोटेरिसिन बी के एक तिहाई नमूनों में एस्परगिलस प्रतिरोधी था।

सुपरबग्स के बारे में -

- **यह शब्द उन रोगाणुओं(आमतौर पर बैक्टीरिया, लेकिन कवक, वायरस या परजीवी भी) का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने कई रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है। इन्हें बहुऔषधि प्रतिरोधी सूक्ष्मजीव (MDR) भी कहा जाता है।**
- **उत्पत्ति:** एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग/अति प्रयोग, अपूर्ण खुराक, उच्च अंत दवाओं के लिए अस्पताल के अत्यधिक जोखिम और रोगाणुओं के बीच जीन हस्तांतरण के कारण।

स्रोत: टीओआई